डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

हरीसिंह बनाम मानसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 04/2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व .... गिनजानिब मुद्दालय पंश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 0.40, 403 रकबा 0.62, 404 रकबा 0.27 किता 3 रकबा 1.29 है0 ताके ग्राम कटारा तहसील नदबई में स्थित है, पर वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे संपूर्ण इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2024 को जारी की गई ।

दस्तखत————————
23/12/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुहर

मुददई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

करण सं. 04 /
सीएमएस न.
केस्म दावा 8
निर्णय दिनां
1.

1. हरीसिंह पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1. कप्तान पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. बल्लो पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. संतो पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. आशा पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. सुशीला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पूरना पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।(मृतक)
   2/1. सुरेश पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2. बनैसिंह पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/3. पूरन पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बलराम पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   3/1. जगदीश पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. बनवारी पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अमरसिंह पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   4/1. हरभान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/2. पिंकी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/3. राधा पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/4. संजू पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/5. गुड्डी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. ख्याली पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सुरेश पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. बनयसिंह पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. पूरन पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विरजी पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. जग्गो पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. तोता पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. शिवराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. रामवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दिलीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. बलवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. प्रबंधक पीएनबी नदबई।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

23
अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 04/2014
जीसीएमएस न. 2014/000145
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.12.2024

1. हरीसिंह पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1. कप्तान पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. बल्लो पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. संतो पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. आशा पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. सुशीला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पूरना पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।(मृतक)
   2/1. सुरेश पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2. बनैसिंह पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/3. पूरन पुत्र पूरना जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बलराम पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   3/1. जगदीश पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. बनवारी पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अमरसिंह पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   4/1. हरभान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/2. पिंकी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/3. राधा पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/4. संजू पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by GangaDhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

4/5. गुडडी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. ख्याली पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सुरेश पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. बनयसिंह पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. पूरन पुत्र दुर्ग सिंह जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विरजी पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. जग्गो पुत्र दौजी जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. तोता पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. शिवराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. रामवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दिलीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. बलवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ईशापुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. प्रबंधक पीएनबी नदबई।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र मीणा (वादीगण)

श्री अशोक कुमार (प्रतिवादीगण)

:: निर्णय :: दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकारान वादपत्र लड़ने योग्य हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 402 रकबा [illegible] 403 रकबा 0.62, 404 रकबा 0.27 किता 3 रकबा 1.29 हे0 वाके ग्राम ईशापुर तहसील नदबई स्थित है। यह आराजी साबिक खसरा नंबर 296, 297, 298 से बना है। जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से बखूबी सिद्ध है।
3. यह कि विवादित आराजी वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता व 6 लगायत 8 के बाबा की खुदकाश्त की पुश्तैनी आराजी है। उनके मरने के बाद वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

कब्जेकाश्त व विरासतन वहैसियत खातेदार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। यह आराजी वादीगण के पिता व बाबा की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 से पूर्व स्व0 पिता कंचन पुत्र गेंदा खुदकाश्त वहैसियत खातेदार काबिज थे जो पेशा वर्धा साबिक रिकॉर्ड से साबित है। नकल जमाबंदी संवत 2009 लगायत 12 के इन्द्राजात व खसरा गिरदावरी संवत 2010 लगायत 13 से कब्जाकाश्त है।

4. यह कि आराजी वादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी आराजी है और रा0का0अधि0 फोर्स में आने से पूर्व तथा जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के समय से ही उस पर काबिज खुदकाश्त ही हैसियत थे। जिन्हें आराजी मुतनाजा पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत खातेदारी मिलनी चाहिए थी । परन्तु इसके विपरीत खुदकाश्तकार के रूप में दर्ज होते रहे हैं। जिसे वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण कब्जेकाश्त व राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि प्रति सं0 1 लगायत 8 के पूर्वजों का न तो राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के समय राजस्व रिकॉर्ड में कब्जाकाश्त दर्ज था और न ही जमाबंदी में कोई खुदकाश्त के इन्द्राजात थे। परन्तु प्रति सं. 1 लगा. 8 ने बिना किसी सक्षम अधिकार के अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जो इन्द्राजात शिकमी व काश्त कराना खिलाफ कानून है जिसे खुदकाश्त व पुश्तैनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर वादीगण जरिए अदालती आदेश हाल इन्द्राजात प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कराते हुए वादीगण को खातेदारी के अधिकारी हैं।

5. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी पर वादीगण के पिता व बाब की खुदकाश्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर वादीगण को संपूर्ण विवादित आराजी पर विरासत अधिकार के तहत व कब्जेकाश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे को मौके व विधि के विरूद्ध मानते हुए कलमजन किये जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए। एवं जबाव दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के नाम कलमजन के हैं। – जिम्मेवादी
2. आया प्रति जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन में विरासतन खातेदार हुए। अतः वादीगण का कोई हक नहीं है अतः दावा काबिल खारिजी के है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजात [illegible] के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2066–69 खाता संख्या 574, 382 [illegible] किता 2 [illegible] ग्राम ईशापुर कटारा, नकल जमाबंदी संवत 2009–12 खाता संख्या 156 चाक [illegible] ईशापुर, नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

जमांबंदी संवत 2010 से 12 खाता संख्या 139, नकल जमांबंदी संवत 2010—13 खाता संख्या 140, नकल जमाबंदी संवत 2017—20 खाता संख्या 15, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 किता 2, मिसल हकीयत भूप्रबंध विभाग संवत 2028 खाता संख्या 165, 166, 169, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010—13 खसरा नंबर 404 खुदकाशत कंचन, खसरा नंबर 9 व 19 संवत 2010—13 वाके ग्राम ईशापुर, नकल खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 404 किता 1 संवत 2014 से 2025 वाके ग्राम ईशापुर, नकल जमाबंदी संवत 2014—17 वाके ग्राम ईशापुर कटारा पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में बलराम पुत्र कंचन जाति जाट ईशापुर, वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगन जाति जाट ईशापुर, प्रेमसिह पुत्र मुकन्दी जाति जाट ईशापुर के शपथ पत्र पेश किए गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन नकल फैसला दिनांक 13.05.2005 मु.उ. बलराम बनाम दौजी पेश की गई तथा नकल वादपत्र बलराम बनाम दौजी पेश किया गया। तथा मौखिक बयान के रूप में तोता पुत्र सोहनलाल जाति जाट ईशापुर, जग्गो पुत्र दौजी जाति जाट ईशापुर, भीमसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाट कटारा पेश किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है—

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के नाम कलमजन के हैं। — उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2009 से 12 में कंचन पुत्र गेंदा कौम फौजदार साकिन देह का अंकन है। जो कि वादीगण के पिता के नाम अंकन हो रहा है। नकल जमाबंदी संवत 2010 लगा. 13 में वादीगण के पिता कंचन के नाम खुदकाश्त का अंकन हो रहा है। नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम ईशापुर कटारा पर दौजी पुत्र कंचन 2/5 हिस्सा, सुरेश, बनयसिंह, पूरन पुत्र दुर्गी 1/35, पूरना, बलीराम, अमरसिंह, हरीसिंह, दौजी, ख्याली पुत्र कंचन वाहिस्सा बराबर 34/35 हिस्सा दर हिस्सा 1/5 जाति जाट साकिन ईशापुर के नाम अंकन हो रहा है। नकल खसरा गिरदावरी 2014—25 में कंचन का खुदकाश्त का अंकन हो रहा है। नकल भूप्रबंध विभाग खतौनी संवत 2028 में दौजी पुत्र कंचन 1/5 व कंचन पुत्र गेंदा 3/5 के नाम अंकन हो रहा है। तथा प्रस्तुत अन्य खसरा गिरदावरी में भी वादीगण के पिता कंचन के नाम खुदकाश्त का अंकन हो रहा है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता कंचन पुत्र गेदा की खुदकाश्त की आराजी रही है। इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण के पिता व बाबा की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 से पूर्व पिता कंचन पुत्र गेदा खुदकाश्त के रूप में खातेदार रहे है। तथा जमाबंदी संवत 2009 लगायत 12 में भी एवं खसरा गिरदावरी संवत 2010 लगायत 13 में वादीगण के पिता कंचन की खुदाकाश्त की आराजी रही है जो कि प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से साबित है। इस प्रकार आराजी वादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अस्तित्व में आने से पूर्व तथा जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन के समय से ही वादीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी रही है परन्तु इसके विपरीत प्रतिवादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

23/12/24

खातेदारी का इन्द्राज किया गया है। जो मौका व रिकॉर्ड के खिलाफ है। प्रतिवादीगण के नाम जो खातेदारी इन्द्राज किए गए हैं वो बिना किसी सक्षम आदेश के किए गए हैं। जो कि गलत है। विवादित आराजी वादीगणों के पूर्वजों की पुश्तैनी भूमि रही है लिहाजा वादीगण प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड की रोशनी में खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा एक मुकदमा 153/03 बलराम बनाम दौजी चला था जो कि दावा 13.05.2005 को अदम तामील में खारिज किया गया। इसलिए उक्त वादपत्र रेजूडिकेटा से बाधित नहीं है क्योंकि पूर्ववती वादपत्र का निस्तारण मैरिट पर नहीं हुआ अतः उक्त तनकी वादीगण के हक व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया प्रतिवादीगण जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन में विरासतन खातेदार हुए। अतः वादीगण का कोई हक नहीं है अतः दावा काबिल खारिजी के है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर विवादित आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी रही है। जो पैतृक संपत्ति होने से वादीगण को हक प्राप्त होते हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 0.40, 403 रकबा 0.62, 404 रकबा 0.27 किता 3 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई में स्थित है, पर वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे संपूर्ण इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested